

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1892] No. 1892] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

आय–कर

का.आ. 2087(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 11प के खंड (क) का लोप किया जाएगा।
- 3. मूल नियमों के नियम 11पक के उपनियम (2) में, खंड (ख) में "या किसी लेखाकार" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 23 / 2018 / फा. सं. 370142/5/2018-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

2904 GI/2018 (1)

िटप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1558 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

INCOME-TAX

- **S.O.** 2087(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 56 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (6th Amendment), Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 11U, clause (a) shall be omitted.
- 3. In the principal rules, in rule 11UA, in sub-rule (2), in clause (b), the words "or an accountant" shall be omitted.

[Notification No. 23/2018/F. No.370142/5/2018-TPL] PRAVIN RAWAL, Dir. (Tax Policy and Legislation)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2018, vide notification number S.O. 1558 (E), dated 11th April, 2018.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.25 19:05:08 +05'30'